

प्रदूषण रोकिए !

तार - पर्यावरण

Gram : Paryavaran



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

REGIONAL OFFICE

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या

Ref. No.

222/रन 0 डी 0 2 1 0 - 165 / 2020 / 2

दिनांक

Dated... 21.07.2020

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र),

देवरिया।

विषय:

मेसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, बैतालपुर डीपो, देवरिया हेतु न्यू रिटेल-आउटलेट, गोरखपुर के पत्रांक सं० GKP/LOI/Adv18/2213/300022087, दिनांक 10.02.2020 के द्वारा ग्राम- सिरसियां, तहसील- देवरिया, जनपद- देवरिया, के खसरा नं०-418 पर (डीजल/पेट्रोल पम्प) रिटेल आउटलेट हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं०-436(8)/शस्त्र-2020, दिनांक 13.06.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से मेसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, बैतालपुर डीपो, देवरिया हेतु न्यू रिटेल-आउटलेट, गोरखपुर के पत्रांक सं० GKP/LOI/Adv18/2213/300022087, दिनांक 10.02.2020 के द्वारा ग्राम- सिरसियां, तहसील- देवरिया, जनपद- देवरिया, के खसरा नं०-418 पर (डीजल/पेट्रोल पम्प) रिटेल आउटलेट के उपभोक्ता पम्प के स्थापित किये जाने हेतु मानचित्र की प्रति संलग्न करते हुए अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धी आख्या चाही गयी है। उक्त के सन्दर्भ में आपको अवगत कराना है कि आवेदन पत्र में जॉच के उपरान्त के पत्रांक सं० GKP/LOI/Adv18/2213/300022087, दिनांक 10.02.2020 के द्वारा ग्राम- सिरसियां, तहसील- देवरिया, जनपद- देवरिया, के खसरा नं०-418 पर (डीजल/पेट्रोल पम्प) रिटेल आउटलेट उपभोक्ता पम्प के स्थापित किये जाने हेतु राज्य बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शर्तों के साथ पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टिकोण से संस्तुति की जाती है।

1. प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प की स्थापना इस प्रकार से किया जाये, जिससे की आस-पास के पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
2. पेट्रोल पम्प हेतु प्रस्तावित स्थल के अधिकाधिक भू-भाग पर वृक्षारोपण किया जाये।
3. पेट्रोलियम पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण जान माल की व्यापक सुरक्षा के मददेनजर दुर्घटना की स्थिति में बचाव हेतु समुचित सुरक्षा उपकरण अग्निसमन विभाग के गार्ड लाईन के अनुसार स्थापित किया जाये तथा आस-पास आबादी विकसित होने पर रोक लगायी जाये।
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में वर्णित प्रविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
5. घरेलू प्रयोजन के फलस्वरूप जनित होने वाले बहिःश्राव के शुद्धिकरण हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट की व्यवस्था स्थापित की जाये।

petrol pump inspection Deoria

Com-2

Vikas Kumar Srivastava

महादेव झारखण्डी, आवास विकास कालोनी, देवरिया रोड, कूड़ाघाट, गोरखपुर-273 008

MAHADEV JHARKHANDI, AVAS VIKAS COLONY, DEORIA ROAD, KUNRAGHAT, GORAKHPUR-273 008

E-mail : rogorakhpur@uppcb.com

Bharat Petroleum Corporation Ltd.

10/2/21

Constituted Attorney

6. पेट्रोल पम्प द्वारा किसी भी दशा में औद्योगिक उत्प्रवाह का निस्तारण न किया जाये।
7. पर्यावरणीय वक्तव्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 सितम्बर तक या इसके पूर्व रा. बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
8. पेट्रोल पम्प द्वारा हैजार्डस एण्ड अदर वेस्ट्स (मैनेजमेन्ट एण्ड ट्रान्स वाउन्ड्री मूवमेन्ट्स) रूल 1989 एवं पेट्रोल पम्पों के इन्वोन्स ऐक्ट, 1991 में वर्णित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
9. पेट्रोल पम्प द्वारा जिला प्रशासन एवं अन्य सम्बन्धित विभागों से लाईसेन्स/अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।
10. पेट्रोल पम्प द्वारा एक अदद 15 किलोलीटर पेट्रोल (एम.एस.) तथा एक अदद 20 किलोलीटर डीज़ल ऑयल (एच.एस.डी.) के भण्डारण हेतु भूमिगत स्टील टैंक की स्थापना की जाये।
11. प्रस्तावित स्थल पर स्टार्म वाटर के निस्तारण हेतु पृथक स्टार्म वाटर ड्रेन बनायी जाये।
12. पेट्रोल पम्प पर निर्मित होने वाले बिल्डिंग के उच्चतम बिन्दु पर विन्ड इन्डीकेटर लगाया जाये।
13. पेट्रोल पम्प द्वारा प्रस्तावित स्थल का भू-प्रयोग 143-जेड.ए. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक में परिवर्तित कराकर भू-प्रयोग प्रमाण पत्र राज्य बोर्ड को तीन माह के भीतर प्रेषित किया जाये।
14. पेट्रोल पम्प द्वारा सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी से आन साइट डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्लान अनुमोदित कराकर छः माह के भीतर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
15. पेट्रोल पम्प की स्थापना मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि०, द्वारा प्रदत्त मैप के ले-आउट प्लान के अनुसार की जाये।
16. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प परिसर में रेन वाटर हार्वैस्टिंग की स्थापना की जाये।
17. पेट्रोल पम्प द्वारा विद्युत आपूर्ति हेतु डी० जी० सेट की स्थापना किये जाने की दशा में ध्वनि प्रदूषण की रोक-थाम हेतु कैनोपी/एकास्टिक इन्क्लोजर व साइलेन्सर की व्यवस्था स्थापित करने के साथ गैसीय उत्सर्जन हेतु डी० जी० सेट के एक्झास्ट पर निकटतम भवन छत से 0.2 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित किया जाये।
18. पेट्रोल पम्प पर आने वाले वाहनों के पार्किंग/आवागमन की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि मार्ग का सामान्य यातायात बाधित न हो।

भवदीय

(बंकिम यादव)

क्षेत्रीय अधिकारी

Vikas Kumar Srivastava
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

10/2/24
Constituted Attorney